

උහ මමහ / උහන ජ

උභ පවුළු වාසන මල්වැසි

මුඛ එ පිටු උභ වාස ප්‍රේම

උහ වැඩිම එ වැඩි මල්වැසි

‘වැඩිම වැඩි වැඩිම ජ

0861, වැඩිම (වැඩිම)එ

क्र.सं.	विषय सूची	प्रमाण-पत्र/अन्य सूचनाएं
1.	प्रतिवेदन	1
2.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	2, 4, 9, 3, 5, 3, 1, 8
3.	भारत सरकार के प्रपत्र (I से V)	3, 5, 3, 1, 8
4.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	9
5.	प्रभाषीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या (प्रपत्र-5)	-
6.	प्रभावित वन भूमि का लेआउट ड्राइंग	12
7.	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण	13
8.	प्रभावित वृक्षों एवं वास्तविक रूप से पालन किये जाने वाले वृक्षों की सूची	19
9.	काटे जाने वाले वृक्षों की मूल्य सूची एवं आउट-टर्न	-
10.	बांज प्रजाति के वृक्षों के पालन का प्रमाण-पत्र	-
11.	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	14
12.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र	15
13.	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का डिजिटल डेटा एवं जियो रिकरन्स मानचित्र	56
14.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का मानचित्र एवं प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	47
15.	परियोजना का बार चार्ट	16
16.	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित होने अथवा न होने की दशा में प्रभाषीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र	19
17.	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन	-
18.	वैकल्पिक समरूपों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र	-
19.	आम सभा का प्रमाण-पत्र	3, 11
20.	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र	23
21.	भू-वैज्ञानिक की आख्या (प्रतिवेदन सहित)	24
22.	भू-वैज्ञानिक एवं जिला टास्क फोर्स की संसुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र	25
23.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र	28
24.	जिलाधिकारी/प्रभाषीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की भूमि न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र	29
25.	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र	30
26.	लगायत होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	31
27.	विस्तृत पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण हेतु देय वन्यजीवों का प्रमाण-पत्र	-
28.	परावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	32
29.	वन भूमि के मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र	33
30.	माओ उखलम न्यायालय द्वारा एनओपीओ की दरों में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप बची हुई वन्यजीवों का प्रमाण-पत्र	34
31.	एनओपीओ जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	-
32.	लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	-
33.	प्रस्तावित स्थल, स्थल विवरण होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	35
34.	परियोजना के निर्माण से उत्पन्नित भवन निर्माण की योजना सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	36
35.	मानक शीट मान्य होने का प्रमाण-पत्र	37-38
36.	आरओपीओ प्लानों के सीमांकन का प्राक्कलन एवं देय वन्यजीवों का प्रमाण-पत्र	-
37.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र	39
38.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापूर्ति प्रमाण-पत्र	41
39.	अन्य प्रमाण-पत्र / ले-आउट प्लान एवं आंकलन / प्राक्कलन	-
40.	फाट शीट	45

विषय सूची

प्रमाण-पत्र/अन्य सूचनाएं

2, 4, 9, 3, 5, 3, 1, 8



(प्रयोगकर्ता एजेंसी)

₹0/-

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु (अनुमानित लागत - ₹0 81.00 लाख) - जनपद- देहरादून में Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना के अन्तर्गत Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 0.405 है 0 वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस परियोजना से जनपद के लगभग सभी वासियों को ब्राडबैंड, मोबाइल, लैण्ड लाईन तथा कई और उच्च तकनीकी संचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में रोड का प्रस्ताव।
 रोड permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

संलग्न है ।

₹0/-
प्रयोजिता एजेंसी
Vindhya Telelinks Limited

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

क्रियान्वयन

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु।

संलग्न है।

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

(ग) परियोजना की लंबाई।

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का दूरसंचार सेवा प्रदान करना।

(ङ) लंबाई लक्ष्य विवरण (संलग्न किये जाने के लिए)।

(च) योजनाएं जिनके पैदा होने की संभावना है।

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय कुशल / अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

0.405 हे० वन भूमि

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

(क) परिवारों की संख्या

(ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या

(ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

4. क्या प्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त आवश्यक है? (हां/नहीं)

भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षांशेपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त रीतों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और या दृष्ट प्रतिकूल वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा दिये गए की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।

दिनांक..... स्थान.....

प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर (नाम)



मोहर

प्रस्ताव की कम संख्या..... (प्राप्त की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना स्कीम का स्थान परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत ROW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर कोबल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.405 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव। उत्तराखण्ड राज्य जिला देहरादून वकाला वन प्रभाग वन की कानूनी स्थिति 0.405 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि कालसी कक्ष सं-27 0.000 हैक्टर स्थित सोयम भूमि 0.000 हैक्टर बंजर 0.000 हैक्टर नापभूमि 0.1 हडियाली का घनत्व प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिभाषना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय पर्यटन-2 मीटर पर परिभाषना और एक.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं) भूखण्ड के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (ix) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी व्याकाम राखीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आदि जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भ्रम है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वाहन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं) (x) व्याकाम क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाल की दूरतम/संकटपन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। (xi) व्याकाम क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाल की दूरतम/संकटपन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। (xii) व्याकाम क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाल की दूरतम/संकटपन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। प्रयोजन एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संयुक्त क्षेत्र क्या है।	7. (संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।) प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत ROW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर कोबल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.405 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव। उत्तराखण्ड राज्य जिला देहरादून वकाला वन प्रभाग वन की कानूनी स्थिति 0.405 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि कालसी कक्ष सं-27 0.000 हैक्टर स्थित सोयम भूमि 0.000 हैक्टर बंजर 0.000 हैक्टर नापभूमि 0.1 हडियाली का घनत्व प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिभाषना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय पर्यटन-2 मीटर पर परिभाषना और एक.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं) भूखण्ड के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (ix) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी व्याकाम राखीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आदि जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भ्रम है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वाहन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं) (x) व्याकाम क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाल की दूरतम/संकटपन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। (xi) व्याकाम क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाल की दूरतम/संकटपन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। (xii) व्याकाम क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाल की दूरतम/संकटपन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। प्रयोजन एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संयुक्त क्षेत्र क्या है।
--	---

9.	यथा अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (है/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	अधिक्षित वन भूमि की मात्रा 1.00 है 0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावधान है।	प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - 3 पर वर्णित है।	प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० 1.00 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावधान है।	दृष्टि अपेक्षित वन भूमि की मात्रा 1.00 है 0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावधान है।	प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - 1 पर वर्णित है।	प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित पट्टी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु व्ययित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोग्राफ मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय / लोकेशन मानचित्र प्रावधान के साथ संलग्न है।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुकूल मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के बढ़ते प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु कुल 43000/- रु. का प्रावधान है।	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभियानित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रारंभिक दृष्टिकोण से संक्षेप प्रतिक्रिया से प्रमाण पत्र (समाहित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त काल 7 मई 1980 और 8 और 9 में पूरे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	विभाग/जिला प्राधिकार	प्रस्तावित वन प्रमाण/जिला - देहरादून	308800 वर्ग कि०मी०	211691 वर्ग कि०मी०	कुल मानवों की संख्या 469 है। वन क्षेत्र प्रयोग में लाया गया कुल 6333.92 है 0 वन क्षेत्र है 0 है। इसमें आवेक्षित वन क्षेत्र 4308.09 है 0 है।	(iv)	1980 से जिला/प्रमाण में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वन भूमि पर (क) वन भूमि पर (ख) वन भूमि पर	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वन भूमि पर	(v)	13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रकृत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/हस्ताक्षरों के अनुसार प्रमाण स्तर से संतुष्टि की जाती है।
----	--	---	---	---	--	---	--	---	--	------	--	------	---	---	----------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------	---	------	--	--	---	-----	-----	---	--

नहीं

दिनांक: 11-11-2017

7

हस्ताक्षर
नाम:-
सरकारी मुहर

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

हस्ताक्षर:

तिथि.....
स्थान.....

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कार्रवाई
के साथ विशेष सिकांरिष्टों।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक आग-ख में दी गयी
सुचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

भाग-III

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देने समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

तिथि :
स्थान :

विधि :
स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

हस्ताक्षर:

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17- राज्य सरकार की सिकांश:

(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग- IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकृत सिम्बोलियाँ पर
विशिष्ट सिम्बोल की जाए)

Handwritten signatures and notes in purple ink at the top left of the page.

Handwritten text in purple ink, possibly a date or reference number.

Handwritten text in purple ink, possibly a date or reference number.

Handwritten signatures and notes in purple ink, including a large '7'.

Handwritten signatures and notes in purple ink, including a date '9/10/17'.

Handwritten text in purple ink, possibly a date or reference number.

Handwritten text in purple ink, possibly a date or reference number.

13.5	13, 16, 18, 27	13.5
------	----------------	------

Handwritten text in purple ink, possibly a date or reference number.

Handwritten text in purple ink, possibly a date or reference number.

Handwritten text in purple ink, possibly a date or reference number.

वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—

उदयपुर

तहसील—

उदयपुर

जिला—

उदयपुर

परियोजना का नाम—जानपद दिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत ROW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.) from Baadwala Chowk—Chakra-Yamuna bridge Total length 13.5 km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु आवेक्षित 0.405 है वन गैस का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी काया हेतु VINDHYA TEELINKS LIMITED, IPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उदयपुर द्वारा दिनांक 10/10/2017 को संयुक्त ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजन एजेंसी द्वारा आमोदित वन गैस के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत बर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आमोदित वनगैस के आदिवासी अथवा किसान गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य हेतु अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनगैस में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकेअतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आमोदित वन गैस पर ग्राम वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सदस्यमति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..... बर्चा के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.405 है (वन संरक्षण) बंजर गैस का (संरक्षण) 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA TEELINKS LIMITED, IPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को पक्ष में ऑटिकल फाइबर बिछाने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है0

है0

मोहर सहित

ग्राम सचिव

प्रयोजन एजेंसी



मोहर सहित

ग्राम पंचायत उदयपुर
विशेष कोष (विकास)

प्रमाण

उदयपुर

परियोजना का नाम-जनपद दिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत ROW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.) from Baadwala Chowk-Chakrata-Yamuna bridge Total length 13.5 km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑस्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आवेदन है।
 0.405 2.865 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु WINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

आम समा का अनापूर्ति प्रमाण पत्र

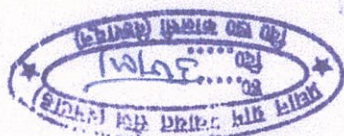
संलग्न है।

प्रधान/सचिव

मोहर



दि० ३०/११/२०१८
 श्रीमान/महोदय (देहरादून)
 आम प्रशासन विभाग



रि० ३०/११/१८
 रि० ३०/११/१८
 रि० ३०/११/१८

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में
 Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अधिष्ठित वनभूमि 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लैनड शीट्यूल

(वन विभाग)

जिला	प्रमाण / रैंज का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	क्षेत्रफल (है0)
देहरादून	वकराता वन प्रमाण / शिवर रैंज	कालसी	13500.00	0.30	4050.00	0.405

है0/प्रमाण वानिकी विभाग
 प्रमाण वानिकी विभाग
 देहरादून

प्रमाण वानिकी विभाग
 प्रमाण वानिकी विभाग
 देहरादून

प्रमाण वानिकी विभाग
 प्रमाण वानिकी विभाग
 देहरादून

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लैन्ड शोड्यूल्

(सिविल एवं सौधम, वन पंचायत एवं नाप भूमि) का लैन्ड शोड्यूल् के लिये (राजस्व विभाग) / जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	कृल योग :-				--	--	--
			भूमि का प्रकार	सिविल	नाप				
रिक्त			खसरा स०	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
लम्बाई (मी०में)				रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
चौड़ाई (मी०में)				रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
याचित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)				रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
याचित क्षेत्रफल (है०)				रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त

₹0/-
जिलाधिकारी



Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑस्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वर्गमी 0.405 हे० वर्ग मी० का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कर्षा हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

| ከዚህ ቀ

ԷԻ-ԼՈՒԷԿ ԻՈՆԱԻԶԱՆԵ ԲՄԴ ԽԵ/ՄԻԻ ԻՋՅԱԼ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु अपेक्षित वन भूमि जो
 रेज के अन्तर्गत अवस्थित है। किस्सी राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय कोरोडर, राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभयारण्य आदि का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित भूमि/क्षेत्र में दलभू वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकराप्त विविध प्रजातियां नहीं पायी जाती है।

(പി.പി.പി.) പി.പി.പി.
പി.പി.പി. പി.പി.പി.
പി.പി.പി. പി.പി.പി.
 / 03

1981
 1982
 1983

১৯৮৫
 ১৯৮৫
 ১৯৮৫
 ১৯৮৫



परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 हे० वन भूमि का वन (खंडखण्ड) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन जीव अभ्यारण्य से (हवाई) दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल राष्ट्रीय पार्क / वन जीव अभ्यारण्य से दवाई दूरी लगभग किमी० / 2.5 किमी० है ।

हस्ताक्षर
प्रमाणित
प्रमाणित (देहरादून)

हस्ताक्षर
प्रमाणित
प्रमाणित (देहरादून)

हस्ताक्षर
प्रमाणित
प्रमाणित (देहरादून)



परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50000 पैमाने की टोपोग्राफि एवं डिजिटल एवं लियो-रिफरेंशन मानचित्र जिसमें आरक्षित वन को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, व नग्न भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से दर्शाया गया है ।

(प्रयोक्ता एजेन्सी)



परियोजना का नाम: जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

बारचाट

कि०मी०

— 13500.00 मी० —	— — — — —		

आरक्षित वन भूमि	
सिखित एवं सोपम वन भूमि	
वन पंचायत भूमि	
गांव भूमि	

ह०/
प्रयोक्ता एन०सी



परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉलेंट धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

₹0/-
(प्रयोक्ता एजीसी)



परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अवक्षिप्त आरक्षित वनभूमि 0.405 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कोई वृक्ष वांछित/प्रभावित होने निहित नहीं है।

Handwritten signature and date 02/02/20

Handwritten signature

Official stamp: प्रभागीय वनाधिकारी, जल संसाधन विभाग, देहरादून

Official stamp: प्रभागीय वनाधिकारी, जल संसाधन विभाग, देहरादून
 २०/-
Handwritten signature

परियोजना का नाम: जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वर्गमि 0.405 है 0 वर्ग मीटर का वर्ग (खंडम) अखिनियम, 1980 के तहत गैर वाणिज्यी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वर्ग मीटर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

रिक्त

₹0/-
प्रमाण/संरक्षण
मोहर

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

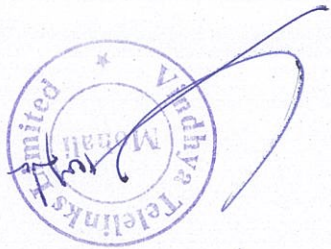
Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वर्गमूमि 0.405 है0 वन मूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन मूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित वन मूमि की लम्बाई-13500.00 मीटर, चौड़ाई-0.30 मीटर कुल 4050.00 वर्ग मीटर अर्थात 0.405 है0 तथा नाप मूमि में लम्बाई- 0 मीटर, चौड़ाई- 0 मीटर कुल 0 वर्ग मीटर अर्थात 0 है0 कुल लम्बाई 13500.00 मी0 चौड़ाई-0.30 मी0 जिसका कुल क्षेत्रफल 4050.00 वर्ग मी0 अर्थात 0.405 है0 है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

मूमि का प्रकार	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	क्षेत्रफल (है0 में)
आरक्षित वन	13500	0.30	4050.00	0.405
खाली पर्व	—	—	—	—
सायम मूमि	—	—	—	—
वन पचायत मूमि	—	—	—	—
कुल वन मूमि	13500	0.30	4050.00	0.405
नाप मूमि	—	—	—	—
कुल मूमि	13500	0.30	4050.00	0.405

है0 /
प्रयोजिता एवजी

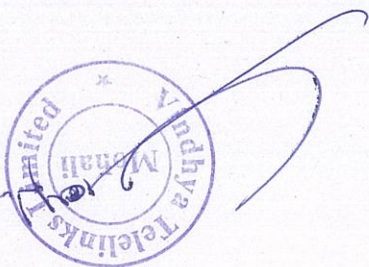


परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण न होने के कारण अन्य वैकल्पिक समरेखणों पर विचार नहीं किया गया। प्रस्तावित समरेखण को उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।

ह०/
प्रवीरजी एन.सी.


परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कागरी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑस्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित वनभूमि 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता / कार्यदायी संस्था / एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

₹0/-
प्रमाणित किया जाता है
प्रमाणित वनधिकारी
(देहरादून)

₹0/-
प्रमाणित वनधिकारी
(देहरादून)

₹0/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
Vindhya Telelinks Limited
Mohali

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अधिष्ठित वनभूमि 0.405 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या की आवश्यकता नहीं है।

₹0/-
(प्रयोजिता एजेंसी)



परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित वनभूमि 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

भू-वैज्ञानिक / जिला टॉपक फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉपक फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा।



ह0/
प्रशिक्षण एजीसी

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints. Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoiline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRIL. Several techniques have been sponsored by CRRIL. Like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting or netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culivers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

₹0/-

प्रयोजिता एजेंसी





प्रस्तावक / कायदाधीन संस्था द्वारा वन्य जीव / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

निगाहिकारी

₹0 /

प्रमाणित प्रमाणित (देखें)

₹0 /

प्रमाणित प्रमाणित

₹0 /



₹0 /

अन्य कोई वैकल्पिक भीम उपलब्ध न होने व वन भीम की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भीम के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भीम उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.405 है 0 वन भीम की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भीम पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

₹0/
(प्रयोजन एवम्सी)



₹0/
प्रमाणित वनाधिकारी
लोकपाल (देवरदास)

उप-प्रमाणित वनाधिकारी
लोकपाल (देवरदास)

जिला अधिसूचक
देवरदास

जिला अधिसूचक
₹0/-



प्रयोजन एजेंसी

.....

.....

.....

617/-

जनसंख्या

80

परिवार

35414

ग्राम

परिवार/जनसंख्या एवं पर्यटकों को लाभ प्राप्त होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ के

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र



₹0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्राप्त कर प्रसूत की जायेगी।

संश्लेष से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रसंगात परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के संश्लेष से प्रमाण-पत्र

जिला अधिकारी
देहरादून

जिलाधिकारी

है

रिक्त

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु 0.405 है 0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपसे रिक्त प्रति है 0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु०..... होता है तथा वार्षिक नीज रेन्ट प्रतिशत की दर से रु० होता है।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र



प्रदेश एजेंसी
-/00

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एनपीवी की देय धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एनपीवी की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

एनपीवी जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

जिलाधिकारी,

₹0/-

प्रमाणित वनाधिकारी

₹0/-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थानीय विधि से नहीं है।

स्थल विधि से होने का प्रमाण-पत्र



प्रयोग प्रयोग

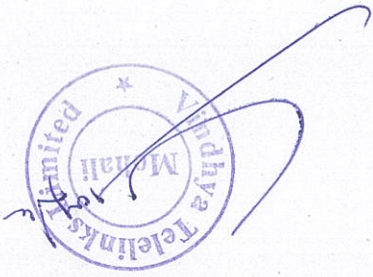
—/00

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से उत्पन्न होने वाले को केवल लार्डन को दबाने आदि पूर्णतया: इस्तेमाल किया जाएगा तथा उत्पादित होने को आस-पास की वन भूमि में नहीं फेंका जाएगा। अतः एक डिस्पोजल प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

मलवे के निस्कारण का प्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रखित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रसंगत भूमि का उपयोग केवल कलित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संपूर्ण निरीक्षण करके सनिटिवल कर लिया गया है कि मांगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरणीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किसे जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निष्पत्ति मुआवजे के भुगतान के प्रतिबन्ध रहने पर वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जग्गियों के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु बहुरमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जग्गियों से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव को कोई आपत्ति नहीं होगा।
6. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरणीय विभाग तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. भूमि का स्वीकार याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेंगा उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
8. नई पट्टियाँ और ऐसा किसे जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निष्पत्ति मुआवजे के भुगतान के प्रतिबन्ध रहने पर वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जग्गियों के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था प्रस्तावित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरियाँ पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की सिंचक जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को का भुगतान किसे वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किसे वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइन्मेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा10नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा10नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, एवं क्षेत्र पौड़ी को सम्बन्धित वन संस्था 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा कि अवगमना बनाना अथवा वन मांगों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होने और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तरण वन विभाग उ0K0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समस्त वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समस्त वृक्षारोपण तथा वृक्षों की प्रतिपेक्षा वन भूमि के हानि और वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपेक्षा व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाज के पड़े पर पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

मानक शर्तें:



₹ 0 /
प्रयोजिता एजेंसी

- प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों याचक विभाग को मान्य है।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव षेडों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी षेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम षेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेंगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकारण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।



₹0/-
प्रतीक्षा एवम्

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वष अर्थात् 30 वर्षों की लीज पर ली जा रही है।

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र



प्रयोक्ता एजेन्सी

०३

जायेगा।

प्रभावित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत अधिकारियों को सिट्टी तेल/कृषिग रौस की आपूर्ति जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया

का प्रमाण-पत्र

परियोजना के निर्माण में कार्यरत अधिकारियों को सिट्टी तेल / कृषिग रौस उपलब्ध कराये जाने



संवन्ध एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि -

पक्ष/दिनांक...../...../.....

पक्ष/दिनांक

देहरादून
जिला अधिकारी
देहरादून

पक्ष/दिनांक...../...../.....

देहरादून
जिला अधिकारी
देहरादून

संरक्षित की जाती है। उप जिलाधिकारी, देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

कि उक्त 0.405 है 0 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के सीवर रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संरक्षित पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संरक्षित के आधार पर निर्णय लिया गया हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव प्रयोजन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत शेर बानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, भूमि की 30 वर्ष की लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.405 है 0 वन भूमि का (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटोमैटिक फाइबर केबल बिछाने हेतु अधिष्ठित 0.405 है 0 वन for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत ROW permission दिनांक को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के

हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी

पक्ष/दिनांक -

जनपद-देहरादून

कार्यालय - जिलाधिकारी, देहरादून

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी / अख्यक्ष

प्रतिनिधि - जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी / अख्यक्ष

भूतक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चकुराला वन प्रभाग की सीमाएं रेंज अन्तर्गत Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अधिष्ठित 0.405 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) को जनाति

वनों अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों (वन अधिकार समिति) को सूचित किया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समूह/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

वैतक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चकुराला वन प्रभाग की सीमाएं रेंज अन्तर्गत Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अधिष्ठित 0.405 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समूह के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समूह द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सांठवनि उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उपखण्ड कालसी, देहरादून परिक्षेत्र के चकुराला वन प्रभाग की सीमाएं रेंज के अन्तर्गत जनाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समूह के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समूह द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सांठवनि उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, कालसी, देहरादून

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

कालसी - उप जिलाधिकारी, कालसी, देहरादून

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के चकराला वन प्रभाग के सीवर रेन अन्तर्गत ROW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अधिष्ठित 0.405 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सौर वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष से 30 वर्ष की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-9 / 98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारवण लाईन, ओएफ०सी० केबल, पाइप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम से प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/अवधित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवधित 0.405 है 0 वन भूमि / बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

उप निगमिका



/ प्रयोक्ता



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -

तहसील -

जिला - देहरादून ।

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के चकराला वन प्रभाग के सीवर रेंज अन्तर्गत Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑस्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत और वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की दीज पर दिये जाने हेतु भारत सरकार, पृथ्वीरूप एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक..... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत बर्ता की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी और आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिखत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा और आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बर्ता के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.405 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत और वानिकी कार्या हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की दीज पर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

है0

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

है0

प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० मी) :-	0.405 है०	-	आवृत्तित वन भूमि (वन विभाग)	0.405 है०	-	वन पंचायत भूमि	0.000 है०	-	स्थित सार्वजनिक भूमि	0.000 है०	-	निजी / नाप भूमि	0.000 है०	-	योग	0.405 है०
2. प्रस्तावक विभाग का नाम	-Vindhya Telelinks Limited, EPC Division,															
3. वन प्रभाग का नाम	प्रस्ताव बाईंडिंग किया है।															
4. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है।	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है।															
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है।	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है।															
6. क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित के प्राकृतिक	के भाग- 1, 2 व 3, के सभी बिन्दुओं की															
7. क्या प्राकृतिक में वांछित स्थानों पर दिनांक	व स्थान भरा गया है।															
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व	दृष्टिगत किया गया है।															
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की	सूची / प्रमाण-पत्र संलग्न है।															
10. बाँध प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की	दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थानीय															
11. निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र संलग्न है।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अधिक है															
12. तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या	प्रयास किया गया है।															
13. समस्त वन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व	वार्षिक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या है।															
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व	सही है।															
15. क्या क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में															
16. संलग्न है।	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना स्थल के															
17. आस-पास स्थित स्थानों पर उचित वृक्षारोपण	योजना संलग्न है।															
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन जीवों के संरक्षण की	दृष्टि से महत्वपूर्ण है।															
19. प्रस्तावित क्षेत्र हरणी कोरीडोर का हिस्सा है यदि	प्रस्तावित क्षेत्र हरणी कोरीडोर का हिस्सा है यदि															
20. है तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है।	है तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है।															
21. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा	गया है।															

Mohali(Panjab)
Industrial Area,



हृ0/-
प्रयोजन एवम्

प्रयोजन एवम्
हृ0/-
प्रयोजन एवम्

- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनारया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।
20. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है।
21. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।
22. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है।
23. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकाधिक / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण संलग्न किया जाये।
24. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाएँ / वैकल्पिक समरूपण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं।
25. वैकल्पिक समरूपणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
26. लागत-लाभ विशलेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5.00 हृ0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)
27. मानचित्र व बारचार्ट में एकत्रित है
28. मलबे के निरस्तण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है
29. मलबे के निरस्तण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।
30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली रीतों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटों प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गयी हैं।
32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
33. वितीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है।
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परिशोधना का नाम अंकित है
35. क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्मेट बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गयी हैं।

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में

Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial

(Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge

to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के

किनारे ऑप्टिकल फाइबर कबल बिछाने हेतु अपेक्षित

आवृत्ति वर्गमीटर 0.405 है0 वर्ग मीटर का वर्ग (संरक्षण)

अधिनियम, 1980 के तहत गैर वाणिज्यिकी कार्यों हेतु Vindhya

Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area,

Mohali(Panjab) को वर्ग मीटर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये

जाने का प्रस्ताव।

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु विहित स्थल
वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है। *Dr. Jyoti Chandra Singh*
प्रमाणित किया जाता है।

$0.405 \times 2 = 0.81$ है $1 - 1.90, 333 = 1.54, 170\%$
या $1.54, 170\%$

₹0 / -

प्रमाणित वृक्षारोपण

प्रमाणित (देखिए)

प्रमाणित वृक्षारोपण
प्रमाणित वृक्षारोपण
प्रमाणित वृक्षारोपण



प्रमाणित वृक्षारोपण
प्रमाणित वृक्षारोपण
प्रमाणित वृक्षारोपण

Handwritten signatures and dates at the top left, including "12/3/12" and "16/2/12".

Handwritten text: "प्रति सम्मानित" (Respected Sir).

Handwritten text: "प्रति सम्मानित" (Respected Sir).

Handwritten signatures and dates in the middle left, including "12/3/12" and "16/2/12".

Handwritten signatures and dates in the middle, including "12/3/12" and "16/2/12".

Handwritten signatures and dates in the middle right, including "12/3/12" and "16/2/12".

Handwritten text at the bottom of the first section, possibly a date or reference number.

Handwritten text: "13, 16, 18, 27/2" (likely dates).

Handwritten text: "13.5" and "12/3/12" (likely a date and a number).

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or report, with various lines of text and some underlined words.

Handwritten text: "सुखत विमान रुटि (गुप्त-पत्र)" (Sukhat Viman Ruti (Secret-Letter)).

Handwritten text at the bottom, including "सुखत विमान रुटि (गुप्त-पत्र)" and other illegible text.



10-46/2010-CS-III
 Government of India
 Ministry of Communications & IT
 Department of Telecommunications
 Sanchar Bhavan, 20 - Ashoka Road
 New Delhi - 110001

Dated : 11.10.2010

M/s VINDHYA TELELINKS LIMITED
 PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA,
 REWA - 485006

To

Subject: Registration Certificate for Infrastructure Provider Category-I (IP-I)
 Please find enclosed herewith the Registration Certificate No.342 /2010
 dated 11.10.2010 issued to M/s Vindhya Telelinks Limited.

The following points should be noted for strict compliance by IP-I Provider:

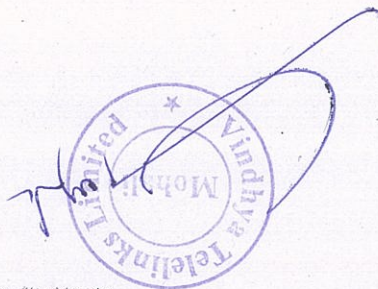
(i) The scope of IP-I provider is limited to establish and maintain assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis only to the licensed Telecom Service Providers licensed under Section - 4 of Indian Telegraph Act, 1885, on mutually agreed terms and conditions.

(ii) The IP-I provider has to submit to DoT a copy of agreement entered into with the licensed Telecom Service Providers within 15 days of signing such agreement.

(iii) Any breach of the terms and conditions given in the enclosed Registration Certificate will lead to cancellation of the registration without any further notice.

(S.T. Abbas)
 11.10.2010
 Director (CS-III)

(S.T. Abbas)
 Director (CS-III)
 Ministry of Telecom, Govt. of India
 Sanchar Bhavan, New Delhi
 110001



10-46/2010-CS-III
 Government of India
 Ministry of Communications & IT
 Department of Telecommunications
 Sanchar Bhavan, 20, Ashoka Road
 New Delhi-110001

Date: 11.10.2010

Registration Certificate No.: 342/2010

Registration Certificate For Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

This is to certify that M/s VINDHYA TELESINKS LIMITED with registered office at PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA, REWA - 485006 is registered as Infrastructure Provider Category I (IP-I) to establish and maintain the assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis to the licensees of Telecom Services licensed under Section 4 of Indian Telegraph Act, 1885 on mutually agreed terms and conditions.

2.0 In no case the company shall work and operate or provide telegraph service including end to end bandwidth as defined in Indian Telegraph Act, 1885 either to any service provider or any other customer.

3.0 The company shall submit a copy of an Agreement entered into with the other service providers including Infrastructure Provider Category II (IP-II) within 15 days of signing of such Agreement.

4.0 The company shall provide the said infrastructure in a non-discriminatory manner.

5.0 In the event of any question, dispute or difference arising under this Registration, or in connection thereof, except as to the matter, the decision of which is specifically provided elsewhere under this Registration, the same shall be referred to the sole Arbitrator appointed and nominated by the Director General Telecommunications or by whatever designation Director General Telecom may be called, hereinafter called the "ARBITRAL TRIBUNAL".

5.1 This Registration Certificate and any dispute thereof shall be governed by the substantive provisions of Indian law.

5.2 The venue of Arbitration shall be New Delhi or as may be fixed by the ARBITRAL TRIBUNAL anywhere in India.

5.3 The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and rules framed thereunder or any modifications or re-enactment thereof made from time to time.



12/12/23

REWA-485006

7

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp



सत्यमेव जयते

Certificate No. : IN-DL27932343045937M
 Certificate Issued Date : 31-Oct-2014 04:38 PM
 Account Reference : IMPACC (IV)/dl787703/DELHI/DL-DLH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-DL78770352677067800692M
 Purchased by : VINDHYA TEELINKS LTD
 Description of Document : Article 48(c) Power of attorney - GPA
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : VINDHYA TEELINKS LTD
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : VINDHYA TEELINKS LTD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



POWER OF ATTORNEY

Please write or type below this line

BE IT KNOWN TO ALL BY THIS INSTRUMENT that I Y.S. Lodha, Son of Late Shri Manohar Singh Lodha, Managing Director and duly constituted Attorney of M/s Vindhya Teelinks Limited, Udyog Vihar, P.O. Chorchata, Rewa (M.P.) 486006, India do hereby delegate my power under my Power of Attorney to Mr. Sandeep Rana, Son of Shri Bishambar Singh, Resident of H No. 4581, Darshan Vihar, Sector 68, Mohali (Punjab), India also an officer of our concern at EPC Division, New Delhi, to do, perform and execute the acts and things hereunder mentioned:

(Signature)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shclsestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

- (1) To sign all documents related to Right of Way permission for Laying of Optical Fibre Cable Network in the state of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand & Jammu and Kashmir:

- (2) To negotiate on behalf of the Company for the above matters.

- (3) To sign and accept all documents related to above matters.

AND I hereby agree that all the deeds and things lawfully done by my said attorney shall be construed as acts, deeds and things done by the company and undertake to ratify and confirm all whatsoever the said Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of the power hereby given.

IN WITNESS WHEREOF I have signed the deed on this 25th day of November 2014 at New Delhi.

EXECUTANT

(Y. S. LODHA)



ATTESTED

25 NOV 2014

Notary Public Delhi

WITNESS:

Signature of Mr. Sandeep Rana

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
(GANESHWAR JHA)

Annexure -1

FORM -1

(For linear project)

Government of _____

Office of the District Collector

Dated:

No

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land and proposed to be diverted for non forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of (name of user agency) for (purpose for diversion of forest land) is district falls within jurisdiction of village (s) in Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure to Annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights to Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

ENCL: as above

Signature

(full name and office seal of the District Collector)

(For projects other than linear projects)

Government of

Office of the District Collector

Date:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to the diverted for non-forest purpose, it is certified that hectares of forest land proposed to the diverted in favour of within jurisdiction of village in Tehsils.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA been carried out for the entire Hectares of forest land and proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (S) Sub Division Level Committee (S) and the district Level Committee and enclosed as annexure To annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA
- (c) The each of concerned Gram Sabha (S) has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having the understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Villages (S) is enclosed as annexure To annexure
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl : as above

(SIGNATURE)

(Full Name and official Seal of the District Collector)